<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

स्वत्व वाद सं-51/2021
सी.आई.एस.क्र.-51/2021
मो. अब्बास एवं अन्य बनाम मो. मुस्ताक एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
18/11/25	वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ,7,11 A से 11C ,12,13 ,15 से 20 , 23 से 25 एवं 28 तथा प्रतिवादी सं. 30 की पृथक पृथक हाजिरी है | अन्य प्रतिवादी गण की कोई पैरवी नहीं है | यह वाद वादी की ओर से आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08/12/21 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा,कब्जे की पुन:प्राप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु लाया गया है। वादी का वाद यह है कि वादभूमि वादीगण के पूर्वज सल्लम साह के नाम से है जिनकी मृत्यु 1960 में हो गयी तब वादी गण वादभूमि पर दखल कब्जे में आये परन्तु सर्वे के समय प्रतिवादी गण दुर्भावना पूर्वक खाता संख्या 1435 के खाताधारी के रूप में सल्लम साह के साथ इसहाक साह,इंसुल साह,रज्जाक साह का नाम दर्ज करा लिए जबकि वादभूमि पर इसहाक साह,इंसुल साह,रज्जाक साह को कोई अधिकार एवं हित प्राप्त नहीं है और वह सल्लम साह की सम्पत्ति है और वह अपने जीवनकाल में शांतिपूर्ण दाखलकार रहे | उक्त खतियान के गलत इंट्री के आधार पर उनके विधिक वारिसान जो वाद में प्रतिवादी प्रथम पक्ष है प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को वादभूमि के संबंध में कई विक्रयपत्र निष्पादित कर दिए जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को कब्जे का परिदान नहीं हुआ | प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा दुरभिसंधिवश उक्त खरीदगी की जमीन को विना प्रतिफल के प्रतिवादी तृतीय पक्ष को विक्रय कर दिए | प्रतिवादी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र शून्य है एवं उससे उक्त प्रतिवादी गण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है | नामांतरण वाद 333/07 के द्वारा वादभूमि के 1.6 एकड़ भूमि की जमाबंदी प्रतिवादी सं. 12,14,15 अपने नाम से करा लिए तब वादी गण नामांतरण अपील 21/17-18 प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रतिवादी सं. 12,14,15 के जमाबंदी को रद्द कर दिया गया | पुन : प्रतिवादी गण के द्वारा विविध वाद 1 / 19-20 दायर किया गया जिसमे वादी गण के विरुद्ध आदेश पारित किया गया तब वादी गण के द्वारा जमाबंदी रद्दकरण वाद 27/19 प्रस्तुत किया गया जिसमे निर्देश के बाद यह वाद लाया गया | अप्रैल 2020 में वादीगण वादभूमि वाले गांव से बहार गए तब प्रतिवादी तृतीय पक्ष वादभूमि पर अस्थायी निर्माण कर लिए एवं अन्य निर्माण करना चाहते हैं | प्रतिवादी तृतीय पक्ष अन्य प्रतिवादी गण से मिलकर अन्य अवैध विक्रयपत्र निष्पादित कर सकते है जिससे वादी गण को अपूरणीय क्षति होगी | प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है अत निवेदन है कि प्रतिवादी गण को वादभूमि पर निर्माण कार्य एवं विक्रय करने से रोकने हेतु अस्थायी व्यादेश निर्गत करने की कृपा की जाय | प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ,7,11 A से 11C ,12,13 ,15 से 20 , 23 से 25 एवं 28 तथा 30 के द्वारा पृथक पृथक प्रति उत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी गण का यह कथन गलत है कि वादीगण के पूर्वज सल्लम साह वादभूमि के स्वामी थे जिनकी मृत्यु 1960 में होने के बाद उनके वारिसान वादभूमि पर दाखलकार हुए | वादी गण का यह भी कथन गलत है कि प्रतिवादी गण सर्वे के समय सल्लम साह के साथ इसहाक साह,इंसुल साह एवं रज्जाक साह नाम खतियान में दर्ज करा	

लगातार 18/11/2025	लिए परं समस्त भूमि पर सल्लम साह दाखलकार रहे	रिवीजनल सर्वे के समय रिकार्डेड रैयत खाता सं. 1435 पर दखलकार थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान दखलकार हुए , वादी गण भी अपने हिस्से पर दखलकार हुए	प्रतिवादी मो. इसहाक एवं मो. कलीम से विक्रयपत्र क्रमांक 6209 दिनांक 24/10/1998 के द्वारा खाता 1435 प्लाट 3080 से 16-3 /4 एकड़ भूमि निश्चित चौहद्दी का खरीद कर दखलकार हुआ	प्रतिवादी संख्या 30 ने प्रतिवादी संख्या 29 के साथ ने मौजा काझी हृदयनगर स्थित खता 1435 प्लाट न. 3080 का 4-½ कट्ठा भूमि निश्चित चौहद्दी का इसहाक साह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. 2826 दिनांक 29/05/1999 से खरीद कर शांतिपूर्ण दखलकार हुए जो वादीगण के साथ सभी व्यक्तियों की जानकारी में था एवं उनका नाम रजिस्टर II में दर्ज हुआ एवं लगएन रसीद प्राप्त करते रहे	वादीगण को प्रतिवादी सं. 29 एवं 30 के द्वारा खरीद की गयी भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है	प्रथम दृष्टया मामला ,सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है न ही वादी को कोई अपूरणीय क्षति हो रही है जिस कारन से वादीगण का यह आवेदन ख़ारिज किये जाने योग्य है	अन्य प्रतिवादी गण के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है | उभय पक्ष को सुना एवम अभिलेख का अवलोकन किया	अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है की वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा , कब्जे की पून : प्राप्ति एवं स्थायी निषेधज्ञा हेतु लाया गया है	वादी द्वारा निर्माण कार्य करने से एवं विक्रय करने से रोकने अस्थायी व्यादेश निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है |विधि का स्थापित नियम है की अस्थायी व्यादेश निर्गत किए जाने हेतु न्यायालय को निम्न तीन सिद्धान्त पे विचार किया जाना आवश्यक है | **प्रथमत:**प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष मे हो,**द्वितीयत:**सुविधा सन्तुलन वादी के पक्ष मे हो , **तृतीयत:**अस्थायी व्यादेश निर्गत न किए जाने से वादी को अपुरणीय क्षति होगी जिसको अपने पक्ष मे साबित करने का भार वादी पर है | **प्रथम दृष्ट्या मामला :-** वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है की वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा , कब्जे की पून : प्राप्ति एवं स्थायी निषेधज्ञा हेतु लाया गया है	वादी का कथन है कि वादभूमि वादीगण के पूर्वज सलम साह के नाम से है जिनकी मृत्यु 1960 में हो गयी तब वादी गण वादभूमि पर दखल कब्जे में आये परन्तु सर्वे के समय प्रतिवादी गण दुर्भावना पूर्वक खाता संख्या 1435 के खाताधारी के रूप में सल्लम साह के साथ इसहाक साह,इंसुल साह,रज्जाक साह नाम दर्ज करा लिए जबकि वादभूमि पर इसहाक साह,इसुल साह,रज्जाक साह को कोई अधिकार एवं हित प्राप्त नहीं है और वह सल्लम साह की सम्पत्ति है और वह अपने जीवनकाल में शांतिपूर्ण दखलकार रहे	वादीगण एवं प्रतिवादी गण की ओर से प्रस्तुत खाता संख्या 1435 का आर. एस. खतियान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रैयत के कालम में सल्लम साह, इसहाक साह, इंसुल एवं रज्जाक साह का नाम अंकित है एवं उक्त खाता के खसरा 3080 एवं 3083 के दखल कब्जे के कलम में इसहाक एवं रज्जाक बकब्जे बराबर अंकित है , इसी प्रकार खसरा 3081 के दखल कब्जे के कालम में सल्लम साह एवं इसहाक़ अंकित है	प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने खतियानी रैयत इंसुल साह,इसहाक साह एवं रज्जाक साह से कई केवला से भूमि ख़रीदा है	सल्लम साह के द्वारा अपने जीवन काल में सर्वे खतियान में कथित गलत इंट्री पर कोई आपत्ति नहीं की गयी थी	वादीगण सल्ल्म साह के विधिक वारिसान हैं जो खतियान में सल्ल्म साह के नाम के	

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

स्वत्व वाद सं-51/2021
सी.आई.एस.क्र.-51/2021
मो. अब्बास एवं अन्य बनाम मो. मुस्ताक एवं अन्य

लगातार 18/11/25	आधार पर दवा कर रहे है जबकि वादभूमि पर प्रतिवादी दाखलकार है	ऐसी दशा मे प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष मे होता प्रतीत नही होता है | **सुविधा सन्तुलन :-** वादी को यह साबित करना है की प्रतिवादी की अपेक्षा वादी को अस्थायी व्यादेश निर्गत न किए जाने पर अत्यधिक असुविधा होगी	वादभूमि पर वादी का न तो प्रथम दृष्टया स्वामित्व है और न ही दखल कब्जा है जबकि प्रतिवादीगण का वादभूमि पर दखल कब्जा है जिस कारण व्यादेश निर्गत किए जाने से प्रतिवादीगण को होने वाली असुविधा की अपेक्षा व्यादेश नही निर्गत किए जाने से वादी को अत्यधिक असुविधा होती प्रतीत नही होती है| **अपुरणीय क्षति :** - वादी को यह साबित करना है की अस्थायी व्यादेश निर्गत न किए जाने पर उसे अपुरणीय क्षति होगी |वादी के द्वारा ऐसा कोइ भी तथ्य दर्शित नही किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो की व्यादेश निर्गत न किए जाने से वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी प्रतिपुर्ति नही की जा सकती | उपर्युक्त तथ्य एवम परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है की प्रथम दृष्ट्या मामला एवम सुविधा सन्तुलन वादी के पक्ष नही है और न ही अस्थायी व्यादेश निर्गत न किए जाने से वादी को अपुरणीय क्षति होगी ऐसी दशा मे वादी आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्तरिम अनुतोष पाने का हकदार नही है अत: वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08/12/21 को अस्वीकृत किया जाता है	इस आदेश में वर्णित मंतव्य वाद के गुण एवं दोष के आधार पर निपटारे को प्रभावित नहीं करेंगे | वाद दिनांक 09/12/25 को उपस्थिति हेतु नियत | लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	